



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर  
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2552233

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-651/3159

रायपुर, दिनांक 28/10/2017

प्रति,

वन मंडलाधिकारी  
कांकेर वन मंडल, कांकेर  
छत्तीसगढ़

- विषय:** कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत चारामा से दोंदरापाल तक ऑप्टिक फायबर के बिछाने हेतु रकबा 0.313 है। वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत महाप्रबंधक (कार्पोरेशन) रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि. रायपुर को उपयोग पर देने वालद।
- संदर्भ:** — प्रस्ताव कंमाक FP/CG/Others/ 16723 / 2015  
— मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक / मा. वि/ 2818 दिनांक 21.09.2017  
= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार कभी पाई गई है:

1. Form-A Part-II में 2 नं. कालम में Legal Status of Forest Land के 2 नं. Row में रकबा 0.174 है। आरक्षित वन दर्शित है परन्तु वन मंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में नारंगी वन भूमि दर्शित है। उक्त कमी की पूर्ति हेतु प्रस्ताव मूलतः वापस किया जाता है। तदानुसार संशोधित प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें।

- विशेष:** प्रस्ताव जांच कर सही प्रस्तुत किया करें।  
**संलग्न:** प्रस्ताव 3 प्रतियों में

१०/१०  
(एस. एस. बजाज)  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. स. अ)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-651/3160

रायपुर, दिनांक 28/10/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- महाप्रबंधक, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड, 4 चौथी मंजील, 401-405, अंबुजा माल, विधान सभा रोड कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड नं. 26, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।

वर्तमान में किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

१०/१०  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. स. अ)  
०/८ छत्तीसगढ़